न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी सुश्री श्वेता कोचर, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
444/2017	प्रा0पत्र 144 CPC	21.10.2017	20.08.2018

1. मुरादखां पुत्र फतेहखां जाति कायमखानी निवासी वार्ड नं. 3 सर्किट हाउस के पीछे चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
2. असगरखां पुत्र मुरादखां जाति कायमखानी निवासी वार्ड नं. 3 सर्किट हाउस के पीछे चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
3. सलीमखां पुत्र मुरादखां जाति कायमखानी निवासी वार्ड नं. 3 सर्किट हाउस के पीछे चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
4. श्रीमती नसीरबानो पत्नी याकूब जाति तेली निवासी मदीना मस्जिद के पास, चूरू (राज)

—प्रार्थीगण—

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, चूरू

—अप्रार्थी—

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सी.पी.सी.

उपस्थित — 1. अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र राहड़ प्रार्थीगण
2. पैरोकार राज उपस्थित।

आदेश

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 144 सी.पी.सी. का पेश कर निवेदन किया कि इस न्यायालय में दावा संख्या 87/11 सरकार बनाम कमलादेवी आदि अन्तर्गत धारा 177 काश्तकारी अधिनियम का खेत ख.नं. 2328/123 तादादी 6 बीघा 16 विश्वा में से प्रार्थीगण का हिस्सा 2 बीघा 6 विश्वा वाके रोही कस्बा चूरू की खातेदारी प्रार्थीगण के नाम से चली आ रही है जिसको इसी न्यायालय द्वारा दावा सं. 87/11 के निर्णय एवम् डिक्री दिनांक 28.01.16 को उक्त कृषि भूमि को सिवाय चक घोषित किया गया है। इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 28.01.16 के खिलाफ प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर के समक्ष अपील संख्या 40/2016 पेश की गई जिसका निर्णय एवम् डिक्री दिनांक 24.07.2017 को पारित की गई जिसमें इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 28.01.16 को अपास्त किया गया है। यह कि राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर द्वारा अपील संख्या 40/2016 मुरादखां आदि बनाम राजस्थान सरकार में निर्णय व डिक्री दिनांक 24.07.2017 के द्वारा इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 28.01.16 को निरस्त किया जाकर प्रकरण को सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया गया है। ऐसी स्थिति में राजस्व अभिलेख में जो इन्द्राज निर्णय व डिक्री दिनांक 28.01.16 की अनुपालना में किया

गया है वह इन्द्राज कानूनन हटाये जाने योग्य है व राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर द्वारा इस न्यायालय की निर्णय व डिक्री को अपास्त किया गया है ऐसी स्थिति में वादगत कृषि भूमि बाबत राजस्व अभिलेख में दिनांक 28.01.16 से पूर्व की स्थिति राजस्व अभिलेख में अंकित की जावे। यह कि राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.07.17 की अनुपालना में इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 28.01.16 के आधार पर दर्ज राजस्व अंकन को हटाया जाकर दिनांक 28.01.16 से पूर्व की स्थिति राजस्व अभिलेख में दर्ज करने हेतु अप्रार्थी तहसीलदार चूरू को आदेशित किया जावे। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे वादगत कृषि भूमि का इन्द्राज राजस्व अभिलेख में राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर के निर्णय व डिक्री की पालना में दिनांक 28.01.16 के पूर्व राजस्व अभिलेख का इन्द्राज किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की जरिये सम्मन तलबी की गई जिस पर अप्रार्थी राजस्थान सरकार की ओर से नायब तहसीलदार पैरोकार राज उपस्थित हुए। पैरोकार राज की ओर से प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया गया जिसकी प्रति वकील प्रार्थी को दी जाकर शामिल मिसल किया गया।

अप्रार्थी की ओर से पैरोकार राज ने प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र के मद सं. 1 में वणित कथन स्वीकार है तथा कथन है कि माननीय न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से पत्रावली का निर्णय किया जाकर प्रार्थीगण की खसरा नम्बर 2328/123 रोही कस्बा चूरू भूमि को सिवाय चक घोषित किया गया है। प्रार्थना पत्र की मद सं. 2 में वर्णित कथन माननीय न्यायालय के निर्णय की हद तक स्वीकार है। माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण की अपील को आंशिक स्वीकार किया जाकर पुनः सुनवाई का आदेश दिया है, न कि पूर्व की स्थिति की बहाली का। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। यह कि मद सं. 3 व अनुतोष मद अस्वीकार हैं क्योंकि माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय में प्रकरण को रिमाण्ड कर पुनः सुनवाई का आदेश दिया है जिससे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत राजस्व रिकार्ड में दिनांक 28.01.2016 से पूर्व की स्थिति बहाल करने का चलने योग्य नहीं है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्त आधारों पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र में जवाब पेश होने पर वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पर बहस सुनने का निवेदन किया जिस पर वकील प्रार्थीगण एवं पैरोकार राज की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पर अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि जब माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी ने अपने अपील निर्णय दिनांक 24.07.2017 के द्वारा इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 28.01.16 जिसके आधार पर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया गया है, को अपास्त कर दिया है तो नियमानुसार कानूनन रूप से अपास्त किये गये आदेश या निर्णय से जो अंकन राजस्व रिकार्ड में किया गया है

अपास्त होने से पूर्व की स्थिति बहाल करना न्यायसंगत है तथा मूल अवस्था की बहाली आज्ञापक है। इसलिए कानूनी प्रावधानों के तहत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे एवं इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 28.01.16 के द्वारा दर्ज अंकन को प्रार्थीगण के खातेदारी हिस्से 2.16 बीघा की हद तक निरस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दिनांक 28.01.16 से पूर्व की स्थिति बहाल करने के आदेश तहसीलदार, चूरू को दिये जावें। पैरोकार राज ने अपनी बहस में कथन किया कि माननीय न्यायालय आर.ए.ए. बीकानेर ने अपने अपील निर्णय में इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांकित 28.01.16 को अपास्त कर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया है जिसमें पर्याप्त साक्ष्य–सबूत, सुनवाई एवं बहस के बाद गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जाना है। माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय में कहीं भी दिनांक 28.01.16 से पूर्व की स्थिति बहाल करने के निर्देश नहीं दिये हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं जवाब पैरोकार राज का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया एवं उभयपक्ष की बहस के तथ्यों पर मनन किया गया। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 28.01.16 पालना में दर्ज किये गये अंकन को माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर के निर्णय व डिक्री दिनांक 24.07.2017 अनुपालना में पुनः दिनांक 28.01.16 से पूर्व की स्थिति बहाल करने का निवेदन किया है। माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर ने अपनी अपील संख्या 40/2016 अनुवानी मुरादखां आदि बनाम राजस्थान सरकार आदि के निर्णय व डिक्री दिनांक 24.07.2017 में अपीलाण्ट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर इस न्यायालय के दावा सं. 87/2011 के निर्णय व डिक्री दिनांकित 28.01.16 को ख.नं. 2328/123 की 2.16 बीघा की हद तक अपास्त कर प्रकरण पुनः सुनवाई कर विधि द्वारा सुस्थापित सिद्धान्तों के अनुरूप गुणावगुण के आधार पर निस्तारित करने हेतु रिमाण्ड किया है। पैरोकार राज ने अपने जवाब में निवेदन किया है कि अपील संख्या 40/2016 में माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 24.07.2017 को माननीय न्यायालय के निर्णय व डिक्री अपास्त कर पुनः सुनवाई के लिए कहा है, न कि बहाली के लिए। अतः प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया है कि जिस निर्णय व डिक्री के आधार पर राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन किया गया है जब वही निर्णय व डिक्री माननीय न्यायालय आर. ए.ए. द्वारा अपास्त किया जा चुका है तो उस निर्णय व डिक्री के आधार पर किया गया परिवर्तन भी अपास्त किये जाने योग्य हो चुका है तथा मूल अवस्था की बहाली आज्ञापक है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दिनांक 28.01.16 से पूर्व की स्थिति बहाल की जावे। पैरोकार राज ने अपनी बहस में कथन किया है कि माननीय न्यायालय ने इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री अपास्त कर पुनः सुनवाई के लिए कहा है, न कि बहाली के लिए। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर द्वारा अपील निर्णय दिनांक 24.07.2017 के द्वारा इस न्यायालय के दावा सं. 87/2011 के निर्णय व डिक्री दिनांक

2.16 बीघा की हद तक अपास्त कर देने से उक्त अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 24.07.2017 की पालना में कस्बा चूरू के वादगत राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के खातेदारी हिस्से की 2.16 बीघा की हद तक किया गया अंकन स्वतः ही निरस्त योग्य प्रतीत होता है तथा प्रार्थीगण प्रथम दृष्टया उक्त वादगत राजस्व रिकार्ड में अपने हिस्से 2.16 बीघा की हद तक दिनांक 28.01.2016 से पूर्व की स्थिति बहाल करवाने के हकदार हैं। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सी.पी.सी. का उचित होने से स्वीकार करने योग्य है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सी.पी.सी. का स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार, चूरू को वादगत कृषि भूमि खसरा नम्बर 2328/123 तादादी 6 बीघा 16 विश्वा रोही कस्बा चूरू में से प्रार्थीगण की खातेदारी हिस्से की 2.16 बीघा कृषि भूमि के राजस्व अभिलेख में दिनांक 28.01.2016 से पूर्व की स्थिति बहाल करने का आदेश दिया जाता है।

आदेश आज दिनांक 20.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्वेता कोचर)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

उपखण्ड अधिकारी
चूरू